

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएं)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला सीधी के अन्तर्गत महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना फेस-2 के निर्माण हेतु 2.8516 हेक्टेयर वनभूमि महान नहर संभाग, सीधी को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: .11.2020

स्थान: भोपाल

Rehman 24/11/2021
(पदमाप्रिया बालाकृष्णन)

सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

(पदमाप्रिया बालाकृष्णन)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)